न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दीगोद जिला कोटा (राज0)

मि0नं0	तारीख दायरा	तारीख फैसला
27 / 2022	14.03.2022	27.01.2023

पीठासीन अधिकारी—हरविन्दर डी0 सिंह (आर.ए.एस.)

उनवान

1— मीनाक्षी बाई पत्नि ओमप्रकाश जाति धाकड निवासी ग्राम हनोतिया तहसील दीगोद जिला कोटा राज0

(वादनी)

बनाम

1— राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील दीगोद जिला कोटा

(प्रतिवादी)

वादनी की ओर से — श्री एल0के0मालव एडवोकेट

प्रतिवादी की ओर से — श्री तहसीलदार दीगोद

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89 आर.टी.एक्ट

निर्णय

वादनी की ओर से निम्न आधारो पर यह वाद पत्र पेश किया है किः—

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि ग्राम हनोतिया पटवार हल्का रेल तहसील दीगोद जिला कोटा में वादनी के शामलाती खाता संख्या नया 35 व खाता संख्या पुराना 28 पर खसरा नम्बर 637 की 1.8700 हेक्टर, कुल 1 किता कि 1.87 हेक्टर भूमि दर्ज चली आ रही है। नकल जमाबन्दी सम्वत 2076—2079 संलग्न है।

यह कि वादनी ग्राम हनोतिया की निवासी है। वादनी का नाम मीनाक्षी बाई है एवं गांव में नट्टी बाई से भी पुकारते है। वादनी को दोनों नाम होने के कारण वादनी को दोनों नामों से जानते है व पहचानते है।

यह कि वादनी का नाम मीनाक्षी बाई है। वादनी के राशन कार्ड , आधार कार्ड, पहचान पत्र, पेन कार्ड, श्रम कार्ड आदि में मीनाक्षी बाई अंकित है। जिस कारण ऋण आदि लेने में परेशानी आ रही है। वादनी इस कारण से उक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादनी का नाम नट्टी बाई के स्थान पर मीनाक्षी बाई अंकित कराने की अधिकारी है।

अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि वादीनी के पक्ष में निम्न आशय की आज्ञा व डिक्री पारित की जावेः—

1— कि ग्राम हनोतिया पटवार हल्का रेल तहसील दीगोद जिला कोटा में वादनी के शामलाती खाता संख्या नया 35 व खाता संख्या पुराना 28 पर खसरा नम्बर 637 की 1.8700 हेक्टर, कुल 1 किता कि 1.87 हेक्टर भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादनी का नाम नट्टी बाई के स्थान पर नट्टी बाई उर्फ मीनाक्षी बाई दर्ज किये जाने तथा राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती किये जाने की आज्ञा व डिक्री पारित की जावे।

2— कि अन्य न्यायोचित सहायता जो भी माननीय न्यायालय उचित समझे वादी को दिलवाई जावे।

वादनी की ओर से निम्न दस्तावेज संलग्न किये गयेः—

1— नकल जमाबन्दी ग्राम कासमपुरा की सम्वत 2076—2077

नकल छाया प्रति राशन कार्ड
आधार कार्ड की छाया प्रति
4– पेन कार्ड की छायाप्रति
5– शपथ पत्र मीनाक्षी बाई

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी विधिवत करवायी गई।

प्रतिवादी तहसीलदार दीगोद मय पटवारी हल्का रिपोर्ट के साथ जवाब दावा प्रस्तत किया गया जो शामिल फाईल किया गया। प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत जवाब में नट्टी बाई व मीनाक्षी बाई एक ही महिला होना प्रकट किया गया है एवं वादनी का नाम दुरूस्त करने की अभिशंषा की गयी है।

वादनी अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। प्रकरण में जवाब सरकार एवं राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। पत्रावली में संलग्न समस्त दस्तावेजात, जवाब सरकार, राजस्व रिकार्ड के गहन अवलोकन करने पर वादनी का नाम दुरूस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है। समस्त दस्तावेजात से वादनी का वाद पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः वादनी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम ग्राम हनोतिया पटवार हल्का रेल तहसील दीगोद जिला कोटा में वादनी के शामलाती खाता संख्या नया 35 व खाता संख्या पुराना 28 पर खसरा नम्बर 637 की 1.8700 हेक्टर, कुल 1 किता कि 1.87 हेक्टर भूमि के राजस्व रिकार्ड में नट्टी बाई के स्थान पर मीनाक्षी बाई उर्फ नट्टी बाई दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तद्नुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। तद्नुसार डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 27.01.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
दीगोद